राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः एस्टे/एम/एफ.10(भर्ती)/आरएमएस(टी)/डीएलबी/17/1900 दिनांकः 09/02/17

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 330 (क) (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) सपठित राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 26 (2) के अन्तर्गत राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा चयन आयोग, जयपुर द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को विभागीय आदेश कमांक 9806–9883 दिनांक 09.11.2016 की निरन्तरता में, वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.14 (1) एफडी (रूल्स)/2013पार्ट/दिनांक 08.06.2015 के अनुसार रूपये 22180/– प्रतिमाह फिक्स वेतन पर वरीयता के कम में सहायक अभियन्ता विद्युत) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित नगर निकाय में कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 2 वर्ष के परीवीक्षाकाल पर एतद्द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है। उक्त अभ्यर्थियों को फिक्स वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते आदि देय नहीं होंगे। दो वर्ष का परीवीक्षाकाल संतोषजनक सेवा के साथ पूर्ण करने पर ही इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार समस्त परिलाभ देय होंगे।

सहायक अभियन्ता (विद्युत)

क.सं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन नगर निकाय
1.	श्री कुलदीप नागर	श्री सत्यनारायण नागर	24.01.1993	सामान्य	नगर निगम, भरतपुर
2.	श्री जितेन्द्र सोनी	श्री सोहन लाल सोनी	18.07.1990	अ0पि0व0	नगर निगम, जोधपुर
3.	श्री रूपाराम	श्री परसा राम	15.05.1991	अ0पि0व0	नगर निगम, जयपुर

यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन रहेगी :–

1. इस आदेश के अधीन कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा दहेज नहीं लेने/नहीं देने का नोटरी से प्रमाणित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संबंधित अभ्यर्थी को मुख्यालय से कार्यग्रहण आदेश प्राप्त करना होगा।
2. उक्त नियुक्ति पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सकीय शारीरिक दक्षता के अध्यधीन होगी। पुलिस–सत्यापन में नियमानुसार नियुक्ति हेतु प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर अथवा/और चिकित्सकीय शारीरिक दक्षता नहीं पाए जाने पर नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश बिना सूचना के निरस्त कर दिये जावेंगे।
3. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा 01 माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।
4. आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिवस (दिनांक 17.01.2017) के अन्दर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
5. पूर्व से राजकीय विभागों में भर्ती नियमों के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों को वेतन–भुगतान के संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या 4703 दिनांक 19.09.2013 के प्रावधान लागू होंगे।
6. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार अध्याय–1 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा–ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:एस्टे/एम/एफ.10(भर्ती)/आरएमएस(टी)/डीएलबी/17/1901-1928 दिनांक: 09/02/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उप सचिव (एएस) माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन व न.वि.विभाग,राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
4. अध्यक्ष/सचिव, राज्य स्तरीय नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा) आयोग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, ...।
6. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
7. महापौर/सभापति/आयुक्त, नगर निगम/परिषद् ....।
8. श्री ....।
9. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक